न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 2708/2016

–:: सायल ::–	बनाम	–:: गै0सा0 ::–
1. कालुराम उर्फ मांगू पुत्र हजारी		1. मिसरू उर्फ मिसाराम पुत्र बींजाजी
2. भूण्डिया पुत्र पेमाजी		2. शंकर पुत्र बींजा जी
3. किशोर पुत्र पेमाजी नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सीता		3. पीरूमल पुत्र उदाजी
4. सीता पत्नी पेमाजी		4. महेन्द्र पुत्र बाबुजी
5. ग्यारसी पत्नी कानाजी		5. पारस पुत्र बाबुजी
6. हंसराज पुत्र कानाजी		6. प्रकाश पुत्र बाबुजी जातियान– रेगर निवासीगण– ढाणी पाटण रास तहसील– जैतारण।
7. श्यामलाल पुत्र कानाजी		7. तहसीलदार जैतारण जिला–पाली।
8. ढगलाराम पुत्र जीवणजी		8. उप पंजीयन अधिकारी जैतारण पाली राज0।
9. जीतीदेवी पत्नी छीतर जी		9. प्रबन्धक एवं प्रतिनिधि अम्बुजा सीमेन्ट लि0 राबड़ियावास तहसील–जैतारण जिला–पाली
10. शिवराज पुत्र छीतर जी		
11. दीपक पुत्र छीतर जी नाबलिग जरिये कुदरती वलिया माता जीतीदेवी		
12. जगदीश पुत्र छीतर नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता जीतीदेवी जातियान– रेगर निवासीगण– ढाणी पाटण रास तहसील– जैतारण जिला पाली राज0।		

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 22/11/2016

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र गुरा, सुनील प्रजापति, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री करनीदान, नितेश चौहान, चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता गै0सा0।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 09/10/2018

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मोजा– ग्राम पाटण पटवार हल्का रास चक द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील– जैतारण में कृषि भूमि निम्न विवरण की स्थित है कि खाता संख्या नया – पुराना 97–75, खसरा संख्या 2903/11 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 3052/3 रकबा 05 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 3069 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा– 03, कुल रकबा– 12 बीघा 13 बिस्वा है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर सायलान संख्या 01 से 07 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से की, सायलान संख्या 08 से 12 संयुक्त रूप से काबिज होकर अपने– अपने हिस्से की भूमि पर बंट अनुसार लगातार शांतिपूर्वक काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि अंकित किया

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जायेगा। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर बाप दादा के समय से सायलान व गैरसायलान काश्त करते रहे है। खसरा नंबर 2903/11, 3052/3 व 3069 की वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वप्रथम बीजा पुत्र हरजी रेगर को जरिए नामान्तकरण संख्या 1214 के नियमन करके राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में म्युटेशन भरा जाकर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि स्वर्गीय बीजा पुत्र हरजी के नाम दर्ज की गई थी। नकल जमाबन्दी, मिसल बंदोबस्त की प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है सायलान व गैरसायलान एक ही वंशज व सदस्य है। जिनके परिवार की वंश वृक्षावली प्रार्थना पत्र में वर्णित है। स्वर्गीय परिवाद बुर्जग हरजी के जीवनकाल में उनके नाम पर अन्य कृषि भूमियां और थी जिन जमीनों पर हरजी के समय से ही बराबर-बराबर तीनों पुत्रों बीजा, हजारी व जीवण के 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से होकर अलग बंट कर रखे थे तथा अन्य जमीनों में कालांतर में जो भी फौत होता गया। उसके स्थान पर उनके कानूनी वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होता रहा। हरजी के परिवार की जो अन्य कृषि भूमियां है। वे सरहद ढाणी पाटण रास चक द्वितीय में खाता संख्या नया 66 व पुराना 63 के कुल खसरा नम्बर्स की तथा खाता संख्या 63 नया 149 पुराना के कुल 10 खसरा नम्बर्स की कृषि भूमियां है। जहां सायलान व गैरसायलान संख्या 01 से 06 के बंट व हिस्सेनुसार आज दिन भी कब्जा काश्त है। तथा उक्त खाते की जो भूमियां औद्योगिक क्षेत्र के लिए अवाप्त की गई। उनकी मुआवजा राशि भी पक्षकारान के बैंक खाते में समय समय पर जमा होती रही है। नकल जमाबन्दीयां व बैंक संबंधी दसतावेजात की प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि के तीनों खसरान की कृषि भूमि का जो नियमन व आवंटन बड़ा बेटा होने से बींजा पुत्र हरजी के नाम करके जो म्युटेशन भरा गया व नियमन व आवंटन सिरे से ही गलत किया गया था। क्योंकि आवंटन के समय वादग्रस्त कृषि भूमि पर स्वर्गीय हरजी के तीनों पुत्रों बीजा, हजारी, जीवण का आवंटन सुदा कृषि भूमि पर बराबर-बराबर 1/3,1/3,1/3, हिस्से पर कब्जा काश्त था। परन्तु राजस्व अधिकारियों ने नियमन आवंटन में बिना मौके की जांच किये ही घोर लापरवाही बरतकर केवल हरजी के बड़े बेटे बीजा के नाम भूमि आवंटित करके राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर लिया। जो आवंटन व म्युटेशन निरस्त किये जाने योग्य है तथा सायलान उक्त आवंटित वादग्रस्त कृषि भूमि के तीनों खसरों की भूमि में संयुक्त रुप से 1/3, 1/3, हिस्से की भूमि पर काबिज होने से राजस्व रेकर्ड में नये सिरे से अपने नामों की प्रविष्टि कराने की घोषणा कराने के कानूनी हकदार है। सायलान को जब इस तथ्य का पता चला कि उनके पूर्वज हजारी जी व जीवण जी का नाम वादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय कब्जेनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया था और बींजाजी के पुत्र गैरसायलान मिसाराम(मिसरू) और शंकर ने वादग्रस्त कृषि भूमि को माईन्स लीज पर पन्द्रह वर्षो के लिए दे दिया तब सायलान ने गैर सायलान से इस बाबत् बात की तो गैरसायलान मिसाराम ने स्वर्गीय हजारी जी व जीवण जी के वंशज सायलान को संतुष्ट करते हुए कहा कि उस समय का इन्द्राज उनके पिता बीजाराम के अकेले के नाम कर दिया था। परन्तु वह अपने काका हजारी जी व जीवणजी के परिजन सायलान को लीज अवधि के दौरान प्राप्त होने वाली मुआवजा राशि का भुगतान 1/3, 1/3, हिस्से अनुसार करता रहेगा। इस बाबत् सौ रुपये के स्टाम्प पर एक इकरारनामा भी गैरसायलान मिसाराम द्वारा तकमील कर हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान करके नोटेरी से सत्यापित कराकर दिनांक 07.10.2010 को सायलान के पक्ष में किया गया। जिस इकरारनामा से गैरसायलान कानूनन पाबंद है एक अन्य

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

इकरारनामा भी सायलान के साथ में अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया जो दिनांक 29.03.2014 को किया गया। दोनों इकरारनामों की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। उपरोक्त इकरार अनुसार सभी कुछ ठीक चल रहा था। परन्तु गैरसायलान ने दिनांक 15.11.2016 को सायलान को धमकी दी कि वे अब मिलने वाली मुआवजा राशि का कोई भुगतान सायलान को नहीं करेंगे तथा सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए वादग्रस्त कृषि भूमि की बहुत बढिया कीमत मिलने से वे कृषि भूमि का अन्य व्यक्ति बेचान हस्तान्तरण कर रजिस्टर्ड सैलडीड करके कब्जा कराकर सायलान को जबरन कब्जे से बेदखल कर देंगे। अगर गैरसायलान ने कानून हाथ में लेकर लाठी लकड़ी के बल पर सायलान को जबरन उनकी कब्जे की भूमि से बेदखल करके भूमि का बेचान हस्तांतरण अन्य व्यक्ति को करके कब्जा करा दिया। जिसका गैरसायलान को कतई कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तो सायलान को अपने साम्पतिक, खातेदारी, काश्तकारी व कानूनी अधिकारों से हमेशा के लिए वंचित होना पड़ेगा तथा सायलान को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी संभव नहीं हो सकेगी। तथ्यों, परिस्थितियों, दस्तावेजात व मौके पर लगातार कब्जा काश्त की रूह से सायलान का बहुत ही मजबूत प्रथमदृष्टिया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रत्येक सूरत में सायलान के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान इस आशय की जारी फरमावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि का गैरसायलान संख्या 01 से 06 किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को बेचान, हस्तांतरण, गिरवी, रहन, बक्सीस, वसीयत आदि नहीं करे न कोई दस्तावेजात तकमील कर उसका पंजीकरण करावे तथा गैरसायलान संख्या 07 व 08 भी ऐसे किसी दस्तावेजात के प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करे। गैरसायलान लाठी लकड़ी के बल पर जबरन सायलान को उनके हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करके किसी अन्य को कब्जा नहीं करावे। सायलान अपने हिस्से की 1/3, 1/3, हिस्से की कृषि भूमि मनमाफिक उपयोग उपभोग करे व काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे। उसमें गैरसायलान किसी तरह की बाधा, रोकटोक, दखलन्दाजी, अड़चन व व्यधान न तो स्वयं करे, न परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, नोकरों, एजेन्ट, मजदूरों आदि से करवावे। मूल वाद के निर्णय तक रोका जावे। उपरोक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पारित फरमावे।

इस पर सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बहस वकील सायलान सुन उक्त विवादित आराजी के रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर वास्ते गैर सायलान को जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गैर-सायल की ओर से वकालातनामा मय जबाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ सामिल मिसल है। वकील गैर-सायल ने जबाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि सरहद मौजा ग्रम पाटण पटवार हल्का रास में वर्णित खसरान की भूमि 2903/11 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 3052/3 रकबा 05-00 बीघा खसरा नंबर 3069 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा आराजी कृषि भूमि सरहद मौजा पाटण में स्थित है लेकिन उक्त सम्पति संयुक्त सामलाती कृषि भूमि होने के कथन एवं गलत है। इस सम्पति में खसरा नंबर 2903/11 गैरसायलान को जरिये नामान्तकरण संख्या 1241 के राजस्व रेकर्ड दर्ज किया गया। जिसमें गैरसायलान जरिये सरकार नियमन के दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। इससे पूर्व तथा इसके बाद से ही गैरसायलान उक्त खसरा भूमि में काबिज काश्तकार

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

है एवं मालिकाना अधिकार है। शेष कथन पूर्ण गलत एवं बेबुनियाद है। वर्णित वंशावली में हजारी के वारिसानों की श्रेणी में भीका पुत्र श्री हजारी को वंशावली में नहीं बताया। जबकि भीका पुत्र श्री हजारी वारिसानों की श्रेणी में स्थित है तथा उसके फौत होने पर उसकी जायन्दा पुत्री गीता पुत्री श्री भीका मौजूदा वारिसान है को वंशावली में तथ्य छुपाकर भारी विधिक गलती की है। मात्र तंग परेशान करने एवं नुकसान कारित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है। कृषि भूमि एवं अन्य भूमि सायलान एवं गैरसायलान को अलग-अलग ही सरकारी आवंटन के प्राप्त हुई। जिसमें सभी सायलान एवं गैरसायलान को अलग अलग जगह पर अलग अलग काबिज काश्त अनुसार जरिये सरकार प्राप्त हुई। अन्य खसरान भूमियों में गैरसायलान के साथ सायलान की खातेदार काश्तकार है। जरिये नियमन एवं आवंटन गैरसायलान ही सायलान कालुराम पुत्र श्री हजारी के स्थान पर हजारी पुत्र श्री हरजी, जीवण पुत्र हरजी को भी कृषि भूमि जरिये सरकार के आवंटन की जाकर राजस्व रेकर्ड दर्ज किया तथा अलग-अलग और अलग-अलग नामान्तकरण के खाते दर्ज किये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये गये। उसी अनुसार गैरसायलान माफिक राजस्व रेकर्ड के काबिल काश्तकार तथा मालिकाना हक अधिकारी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन झूठे एवं मनगढत के वादग्रस्त वर्णित भूमि गैरसायलान को जरिये राजस्व रेकर्ड के स्वयं की काबिज काश्त से काबिल काश्तकार है तथा मनमर्जी उपयोग उपभोग लेते आ रहे है। माईनिंग भूमि होने एवं मुआवजा प्राप्त कथन बिना रजिस्टर्ड प्रमाण के है। प्राप्त मुआवजा गैरसायलान को ही उनकी खातेदारी भूमि का ही प्राप्त होता था इकरारनामा लिखित के कथन अप्रमाणित है जिसे किसी प्रकार का कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं होने से कथन बेबूनियादी है। गैर सायल संख्या 09 ने जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि सरहद मौजा पाटन रास खसरा नंबर 2903/11 रकबा 05-07 बीघा किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा पाटन रास वाके है, जो कथन सही है। उक्त भूमि में से खसरा नंबर 3052/3, 3069 भूमि में गैरसायलान अम्बुजा सीमेन्टस लि0 रावड़ियावास का कोई संबंध नहीं है व खसरा नंबर 2903/11 भूमि वादी संख्या 01 से 03 होने व वादी संख्या 08 से 12 का 1/3 हिस्सा होने व गैरसायलान संख्या 01 से 06 का संयुक्त रूप से काबिज होकर कब्जा काश्त करने का कथन व उक्त भूमि पर 01 से 03 सायलान का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त करने का कथन पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है। जिसे गैरसायलान संख्या 09 नामजूंर करता है। उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर 2903/11 की भूमि राजस्थान सरकार सिवाय चक सरकारी खाते की भूमि थी। जिस पर बींजा पुत्र हरजी जाति-रेगर निवाणी पाटण बतौर अतिक्रमी के काबिज था। जिसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से राजस्थान सरकार द्वारा भू राजस्व भूमि आवंटन अधिनियम, 1970 के तहत बीजांराम के खसरा नंबर 2903 में से 05-07 बीघा भूमि की किस्म भूमि परिवर्तन कर जरिये नियमन भूमि का आंवटन किया गया। जिसके म्युटेशन नंबर 1241 से पाटन रास में खसरा नंबर 2903/11 05-07 बीघा किस्म बारानी दोयम का मृतक बींजा पुत्र हरजी रेगर के नाम म्युटेशन भरा गया। उक्त म्युटेशन संख्या 1241 की प्रमाणित प्रति जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार सायलान व उसके पिता प्रपिता से व परिवार व संयुक्त परिवार से उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 2903/11 रकबा 05-07 बीघा किस्म बारानी दोयम वाके सरहद मौजा पाटन, रास की भूमि बींजा का आंवटित हुई उसमें भाई, पिता व सायलान को कोई हक अधिकार नहीं है। हरजी, जीवन बीजां को आवंटित भूमि में

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उसमें हजारी व जीवण का 1/3 हिस्सा में काश्त होने का कथन गलत है। खसरा नंबर 2903/11 रकबा 05-07 बीघा भूमि व इसके आसपास की भूमि गैरसायलान संख्या 09 अम्बुजा सीमेन्टस लि0 को राज्य सरकार द्वारा खनिज लाईम स्टोन के खनन के लिए लीप पर दी हुई है। जिसकी माईनिंग लीज संख्या 2/94 है जिसकी नकल साथ पेश है। सायलान का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टतया मामला होने का कथन पूर्णतया गलत है व सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में होने के कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। जिसे गैरसायलान नांमजूर करता है।

बहस वकुलाय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। वकील सायलान ने बहस में जाहिर किया कि उक्त विवादित आराजी पैतृक पुश्तैनी थी। मूल पुरूष हरजी (फौत) के वारिस बींजा हजारी व जीवन तीन जायन्दा पुत्र थे। विवादित आराजी पर तीनों का कब्जा काश्त था। लेकिन आवंटन नियमन हुई तब केवल मात्र बींजा के नाम ही रेकर्ड में दर्ज किया गया। परन्तु कब्जा काश्त हरजी के तीनों पुत्रों के वारिसान का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। बींजा के वारिस मिसरू उर्फ मीसाराम ने एक इकरारनामा भी तकमील किया है। कि उक्त भूमि पर हरजी के तीनों वारिसान का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा है। चूंकि उक्त भूमि अम्बूजा सीमेंट में लीज हेतु ली गई है। जिसका मुआवजा प्राप्त करने हेतु उक्त इकरारनामा लिखा गया। सायलान के पक्ष में अंतरिम स्थायी निषेधाज्ञा जारी हो रखी हैं। अगर गैरसायलान उक्त भूमि से सायलान को बेदखल कर देते है। तो सायलान को असीम क्षति होगी। मूल वाद के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाने की इस्तदूआ की।

अधिवक्ता गै.सा. 01 से 06 ने बहस में जाहिर किया कि सरहद मौजा ग्रम पाटण पटवार हल्का रास में वर्णित खसरान की भूमि 2903/11 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 3052/3 रकबा 05-00 बीघा खसरा नंबर 3069 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा आराजी कृषि भूमि सरहद मौजा पाटण में स्थित है लेकिन उक्त सम्पति संयुक्त सामलाती कृषि भूमि होने के कथन एवं गलत है। इस सम्पति में खसरा नंबर 2903/11 गैरसायलान को जरिये नामान्तकरण संख्या 1241 के राजस्व रेकर्ड दर्ज किया गया। जिसमें गैरसायलान जरिये सरकार नियमन के दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया।माईनिंग भूमि होने एवं मुआवजा प्राप्त कथन बिना रजिस्टर्ड प्रमाण के है। प्राप्त मुआवजा गैरसायलान को ही उनकी खातेदारी भूमि का ही प्राप्त होता था इकरारनामा लिखित के कथन अप्रमाणित है जिसे किसी प्रकार का कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं होने से कथन बेबूनियादी है। उक्त ईकरारनामा में कोई भी खसरा नम्बर नही दर्शाया गया है। सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने एवं सुविधा का सन्तुलन गै.सा. के पक्ष में होने से सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य फरमावें। वकील गै.सा. सं. 09 ने बहस में जाहिर किया कि सरहद मौजा पाटन रास खसरा नंबर 2903/11 रकबा 05-07 बीघा किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा पाटन रास में आई हुई हैं। उक्त भूमि में से खसरा नंबर 3052/3, 3069 भूमि में गैरसायलान अम्बुजा सीमेन्टस लि0 रावड़ियावास का कोई संबंध नहीं हैं। उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर 2903/11 की भूमि राजस्थान सरकार सिवाय चक सरकारी खाते की भूमि थी। जिस पर बींजा पुत्र हरजी जाति- रेगर निवाणी पाटण बतौर अतिक्मी के काबिज था। जिसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से राजस्थान सरकार द्वारा भू राजस्व भूमि आवंटन अधिनियम, 1970 के तहत

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

बीजांराम के खसरा नंबर 2903 में से 05-07 बीघा भूमि की किस्म भूमि परिवर्तन कर जरिये नियमन भूमि का आंवटन किया गया। जिसके म्युटेशन नंबर 1241 से पाटन रास में खसरा नंबर 2903/11 05-07 बीघा किस्म बारानी दोयम का मृतक बींजा पुत्र हरजी रेगर के नाम म्युटेशन भरा गया। इस प्रकार सायलान व उसके पिता प्रपिता से व परिवार व संयुक्त परिवार से उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। खसरा नंबर 2903/11 रकबा 05-07 बीघा भूमि व इसके आसपास की भूमि गैरसायलान संख्या 09 अम्बुजा सीमेन्टस लि0 को राज्य सरकार द्वारा खनिज लाईम स्टोन के खनन के लिए लीप पर दी हुई है। जिसकी माईनिंग लीज संख्या 2/94 है जिसकी नकल प्रा. पत्र के साथ पेश की है। सायलान का प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टतया मामला होने का कथन पूर्णतया गलत है व सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में होने के कथन पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। जिसे गैरसायलान नांमजूर करता है। सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने खारिज योग्य फरमावें।

बहस को समायत की गई। बहस पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वस्तुतः विवादित आराजी मृतक बींजा का कब्जा काश्त अर्थात् बतौर अतिकमी होने से आवंटन/नियमन कमेटी ने बींजा पुत्र हरजी के नाम नियमन की गई। तदूपंरात नामान्तकरण संख्या 1241 पारित कर बींजा पुत्र हरजी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया। बींजा फौत होने से उनके वारिसान उक्त विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार दर्ज है। चूंकि वकील सायलान ने बहस में जाहिर किया कि उक्त विवादित आराजी पैतृक पुश्तैनी थी। परन्तु राजस्व रेकर्ड के अवलोकन एवं अध्ययन से जाहिर हैं कि उक्त विवदित आराजी बींजा पुत्र हरजी के नाम नियमन की गई। ईकरारनामा में भी किसी खसरा नम्बर का अंकन नही किया गया हैं। चूंकि वर्तमान में गैर सायलान विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। मूल वाद में साक्ष्य सबूत एवं विस्तृत विवेचन/विश्लेषण बाद ही विधिक निर्णय पारित हो सकेगा। लेकिन वर्तमान में गैरसायलान रेकर्डेड खातेदार काश्तकार होने से सायलान का राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को खारिज किया जाना उचित समझतें हैं

-:: आदेश ::-

अतः सायलान का राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 09/10/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner